

- अनुमति की जाती है।
- (i) कला भवन/पुस्तकालय की निर्माण की स्वीकृति स्वतंत्रता दिवस नहीं करती है।
  - (ii) किसी भी प्रकार का निवार (स्थायित्व, राजकीय, प्रकृतिकरण या अन्य) होने की स्थिति में निगम का बोर्ड अतिरिक्तित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी स्वीकृति के लिए आवश्यक होगा।
  - (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदन निगम को सूचित करेगा।
  - (iv) स्वीकृत नगरीय विधायक निर्माण कार्य करने पर स्वीकृत निवार की जा सकती है।

एकल श्रेणी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 111 दिनांक 21/05/2019

पार्सी रवि गडहोत 3/0 मी जेड्डर लीड गडहोत

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्थानिकीय राज स्तरी 251, 279/- जमा है

जिनके रसीद संख्या 1028/382, 383

दिनांक 21/05/2019 को जमा करा दी है। 837

*(Signature)*  
प्रमुखकार  
नगर निगम, जोधपुर

P.No: 256 उम्मेद रूरेटिज योजना  
खसरा नं 426 (हिल्सा) क्षेत्र  
हिल्सा धतानाडा जोधपुर

जी.टी.  
आवासीय

*Richard*  
*(Signature)*  
24/05/19